

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

आदेश

आदेश संख्या-2प/वि०-17-31/2025/593...../प०रा० पटना, दिनांक 14/11/26

लोक प्रहरी-सह-आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक-5754 दिनांक 10.09.2025 के माध्यम से वाद सं०-03/2025 में पारित आदेश की मूल प्रति सभी अनुलग्नक सहित विभाग को उपलब्ध करायी गयी है।

2. उक्त आदेश में लोक प्रहरी-सह-आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा श्रीमती जया किशोरी देवी, मुखिया, ग्राम पंचायत-अग्रहण, प्रखण्ड-हवेली खड़गपुर, जिला-मुंगेर को बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में निहित शक्तियों के दुरुपयोग, विभागीय निदेशों की अवहेलना, कर्तव्यों के निर्वहन एवं वित्तीय कार्यों में दोषी पाए जाने के कारण बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-18(5) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए पदच्युत करने की अनुशंसा की गई है।

उल्लेखनीय है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-18(5) के अधीन मुखिया के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच एवं सुनवाई लोक प्रहरी द्वारा किया जाना प्रावधानित है। इस प्रावधान के आलोक में सरकार द्वारा सभी प्रमंडलीय आयुक्त को अगले आदेश तक अपने-अपने जिले के लिए लोक प्रहरी घोषित किया गया है।

3. श्रीमती जया किशोरी देवी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की जाँच जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा गठित त्रिसदस्यीय जाँच दल के पदाधिकारी, यथा : जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, मुंगेर से तथा कनीय अभियंता, भवन निर्माण विभाग, मुंगेर से करायी गयी। जाँच दल से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत उनके पत्रांक-252 दिनांक 08.05.2025 द्वारा श्रीमती जया किशोरी देवी, मुखिया, ग्राम पंचायत-अग्रहण, प्रखण्ड-हवेली खड़गपुर, जिला-मुंगेर के विरुद्ध विभागीय निदेशों की अवहेलना, शक्तियों के दुरुपयोग आदि के संबंध में लोक प्रहरी-सह-आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-18(5) के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

4. मुखिया के विरुद्ध आरोप है कि उनके द्वारा योजना संख्या-09/2022-23 सामुदायिक भवन का मरम्मत कार्य, योजना संख्या-06/2022-23 ग्राम पंचायत-अग्रहण के 3542 घरों में दो-दो डस्टबीन का वितरण, योजना संख्या-01/2022-23 ग्राम पंचायत-अग्रहण के पंचायत भवन संचालन हेतु फर्नीचर, मशीनरी एवं कम्प्यूटर उपकरण का क्रय, वार्ड संख्या-04 योजना संख्या-13/2022-23, षष्ठम् राज्य वित्त आयोग ग्राम पंचायत-अग्रहण के यादव टोला वागेश्वरी से भोला स्थान तक नाला सफाई एवं अग्रहण यादव टोला से सामुदायिक भवन से राय टोले तक नाला सफाई कार्य में अनियमितता, वार्ड संख्या-12 योजना संख्या-04/2022-23, ग्राम पंचायत-अग्रहण में ब्रह्मदेव सिंह के घर के पास नाला निर्माण कार्य, योजना संख्या-12/2022-23 ग्राम पंचायत-अग्रहण के सटबिग्घी में मेन रोड से सुनील मण्डल के घर तक सड़क



एवं नाला निर्माण, योजना संख्या-03/2022-23 ग्राम पंचायत-अग्रहण के वार्ड संख्या-04 में नेपी मण्डल के खेत से पुलिया तक नाली निर्माण कार्य में अनियमितता बरती गयी है।

5. लोक प्रहरी-सह-आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर से प्राप्त अनुशंसा के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु आरोपित मुखिया को विभागीय पत्रांक-12376 दिनांक 26.09.2025, पत्रांक-12841 दिनांक 14.11.2025 एवं पत्रांक-13462 दिनांक 10.11.2025 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। उक्त नोटिस के आलोक में आरोपित मुखिया द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष लिखित अभ्यावेदन के रूप में समर्पित किया गया। मुखिया से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में कंडिकावार उत्तर प्रतिवेदन की मांग जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर से की गयी। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक-1827 दिनांक 21.11.2025 द्वारा कंडिकावार प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

6. जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा उपलब्ध कराये गये कंडिकावार उत्तर प्रतिवेदन, लोक प्रहरी-सह-आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर से प्राप्त अनुशंसा एवं आरोपित मुखिया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के अवलोकन एवं परिशीलन से निम्न तथ्य ज्ञात होता है :-

(क) योजना संख्या-06/2022-23 ग्राम पंचायत-अग्रहण के 3542 घरों में दो-दो डस्टबीन का वितरण के संबंध में जाँच दल द्वारा गुणवत्ताविहीन डस्टबीन का बाजार मूल्य ₹60.00 प्रति जोड़ा आकलित करते हुए 3542 घरों के लिए वितरित डस्टबीन की कुल कीमत ₹2,12,520.00 पाई गयी जबकि इस योजना पर कुल ₹6,37,382.00 का व्यय किया गया है। इस प्रकार कुल ₹4,24,862.00 मात्र का निष्फल व्यय किया गया।

इस संबंध में आरोपित मुखिया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि डस्टबीन का क्रय पंचायत सचिव द्वारा ओमकार इन्टरप्राइजेज से किया गया है तथा खरीदे गये डस्टबीन का भुगतान PFMS के माध्यम से किया गया है।

उक्त के आलोक में लोक प्रहरी से प्राप्त अभिलेख एवं अधिवक्ता द्वारा समर्पित बचाव पक्ष के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा डस्टबीन का क्रय पंचायत सचिव द्वारा ओमकार इन्टरप्राइजेज से किये जाने एवं उसका भुगतान PFMS के माध्यम से किये जाने का उल्लेख किया गया है परंतु जाँच प्रतिवेदन में बाजार मूल्य के सापेक्ष योजना की प्राक्कलित राशि में अंतर होने एवं इस कारण सरकारी राशि के दुरुपयोग के बिन्दु एवं डोंगल के इस्तेमाल जो पंचायत सचिव एवं मुखिया दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, पर स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सका। इससे स्पष्ट होता है कि आरोपित मुखिया द्वारा बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर डस्टबीन का क्रय कर अभिकर्ता एजेंसी की मिलीभगत से सरकारी राशि का गबन किया गया है जो पदीय दायित्वों के निर्वहन एवं दुरुपयोग को प्रदर्शित करता है।

(ख) योजना संख्या-01/2022-23 ग्राम पंचायत-अग्रहण के पंचायत भवन संचालन हेतु फर्नीचर, मशीनरी एवं कम्प्यूटर उपकरण के क्रय के संबंध में जाँच दल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उल्लिखित है कि योजना में अभिलेख का संधारण विधिवत् नहीं पाया गया एवं क्रय किये गये उपकरणों की संख्या में भिन्नता भी पाई गयी। इस संबंध में आरोपित मुखिया के

विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत-अग्रहण का कार्य सामुदायिक भवन में निष्पादित किया जाता था तथा क्रय किये गये सभी फर्नीचर, मशीनरी एवं कम्प्यूटर उपकरण इत्यादि नये निर्मित पंचायत सरकार भवन में स्थानांतरित किया गया।

उक्त के आलोक में लोक प्रहरी से प्राप्त अभिलेख एवं आरोपित मुखिया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित अभिकथन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधिवक्ता द्वारा अभिलेख का संधारण नहीं करने एवं उपकरणों की संख्या की भिन्नता के संबंध में कोई पक्ष नहीं रखा गया है बल्कि सामग्रियों को सामुदायिक भवन में रखे जाने का तथ्य अंकित किया गया है जो पूर्णतः गलत है। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार योजना वर्ष 2022 में पूर्ण हो चुकी है तथा इसका निरीक्षण 2024 में किया गया है। भण्डार पंजी संधारित नहीं है जिससे स्पष्ट होता है कि वास्तव में कम मात्रा में उपकरणों का क्रय किया गया है।

(ग) **वार्ड संख्या-04 योजना संख्या-13/2022-23**, षष्ठम् राज्य वित्त आयोग ग्राम पंचायत-अग्रहण के यादव टोला वागेश्वरी से भोला स्थान तक नाला सफाई एवं अग्रहण यादव टोला से सामुदायिक भवन से राय टोले तक नाला सफाई कार्य के संबंध में जाँच दल को पहले दिन समर्पित योजना के अभिलेख में मास्टर रॉल पर किसी मजदूर का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान नहीं पाया गया जबकि दूसरे दिन मुखिया एवं पंचायत सचिव द्वारा मजदूरों का फर्जी हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगाकर मास्टर रॉल प्रस्तुत किया गया। यह अभिलेख से छेड़छाड़ एवं जाँच दल को गुमराह करने का कार्य किया गया है। आरोपित मुखिया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित बचाव अभिकथन में उल्लेख किया गया है कि पंचायत कार्य से संबंधित सभी पंजी पंचायत सचिव के द्वारा संधारित की जाती है एवं योजना संख्या-13/2022-23 के अभिलेख में मास्टर रॉल भी पंचायत सचिव द्वारा तैयार किया गया है।

उक्त के आलोक में लोक प्रहरी से प्राप्त अभिलेख एवं आरोपित मुखिया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित अभिकथन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मास्टर रॉल तैयार करने एवं राशि का भुगतान नियमानुसार एवं समुचित तरीके से नहीं किया गया है। यह कार्य पूर्णतः नियम विरुद्ध एवं सरकारी राशि के दुरुपयोग से संबद्ध है।

(घ) **वार्ड संख्या-12 योजना संख्या-04/2022-23**, ग्राम पंचायत-अग्रहण में ब्रह्मदेव सिंह के घर के पास नाला निर्माण कार्य के संबंध में समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि इस योजना के अन्तर्गत निर्मित नाला में किसी भी ग्रामीण के घर का पानी नहीं बहता है एवं सड़क का उपयोग भी किसी ग्रामीण द्वारा नहीं किया जाता है।

इस संबंध में आरोपित मुखिया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित अभिकथन में उल्लिखित है कि यह योजना ग्राम सभा से पारित है एवं तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर इसे क्रियान्वित किया गया है।

उक्त के आलोक में लोक प्रहरी से प्राप्त अभिलेख एवं आरोपित मुखिया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित अभिकथन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आम सभा की बैठक की अध्यक्षता मुखिया द्वारा की जाती है एवं आम सभा में पारित योजना तथा उसका क्रियान्वयन विभागीय निदेश के आलोक में किया जाता है। यदि ग्राम सभा द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित किया

जाता है जो विभागीय नियमों के प्रतिकूल है तो उस प्रस्ताव को अगली सभा में संशोधित किया जा सकता है, जो नहीं किया गया है।

इस प्रकार मुखिया का यह कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में असफलता एवं विभागीय निदेशों के स्पष्ट अवहेलना को प्रदर्शित करता है।

(ड.) योजना संख्या-03/2022-23 ग्राम पंचायत-अग्रहण के वार्ड संख्या-04 में नेपी मण्डल के खेत से पुलिया तक नाली निर्माण कार्य की भौतिक जाँच में योजना की कुल लंबाई 245 फीट पाई गयी है जबकि मापी पुस्त में इसकी लंबाई 380 फीट दर्शाया गया है। 245 फीट के निर्माण पर व्यय की गयी राशि ₹3,14,135.00 मात्र है जबकि 380 फीट के अनुसार ₹4,87,231.00 का व्यय किया गया है। इस प्रकार कुल ₹173096.00 मात्र का निष्फल व्यय मुखिया, तत्कालीन पंचायत सचिव एवं तकनीकी सहायक की मिलीभगत से किया गया है।

इस संबंध में आरोपित मुखिया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित अभिकथन में उल्लिखित है कि ग्रामा सभा में योजना संख्या-03/2022-23 पारित होने के पश्चात् पंचायत सचिव द्वारा तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत प्रारंभ किया गया। मापी पुस्त के अनुसार योजना की वास्तविक लंबाई 270 फीट है तथा धरातल पर 270 फीट की कार्य किया गया है।

उक्त के आलोक में लोक प्रहरी से प्राप्त अभिलेख एवं आरोपित मुखिया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित अभिकथन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वार्ड संख्या-04 योजना संख्या-03/2022-23 के प्राक्कलन में नाली की लंबाई 370 फीट है। प्रतिवेदन के अनुसार मापी पुस्त में 370 फीट लंबाई का नाला निर्माण का कार्य अंकित कर भुगतान किया गया है। इस प्रकार आरोपित मुखिया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा जाना कि मापी पुस्त के अनुसार 270 फीट ही कार्य कराया गया है, पूर्णतः गलत है। जाँच दल द्वारा भौतिक सत्यापन में लंबाई 245 फीट पाया गया है जो कि आरोपी मुखिया के विद्वान अधिवक्ता के धरातल पर 270 फीट निर्माण किये गये दावे को गलत साबित करता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इस योजना में धरातल पर किये गये कार्य से अधिक मापी पुस्त में अंकित करते हुए भुगतान की कार्रवाई की गयी है।

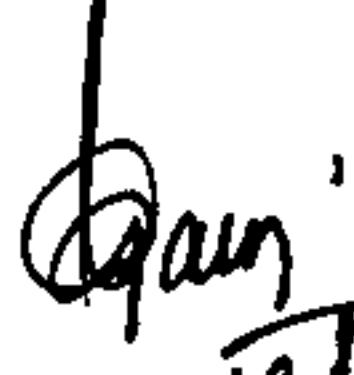
7. लोक प्रहरी-सह-आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर से प्राप्त अभिलेख में वर्णित आरोप, जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपित मुखिया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने बचाव में रखे गये पक्ष तथा अन्य संगत अभिलेखों के अवलोकनोपरांत आरोपित मुखिया श्रीमती जया किशोरी देवी, मुखिया, ग्राम पंचायत-अग्रहण, प्रखण्ड-हवेली खड़गपुर, जिला-मुंगेर के विरुद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में निहित विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की वित्तीय और कार्यकारिणी प्रशासन हेतु मुखिया को प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग करने, कर्तव्यों के निर्वहन में उपेक्षा करने एवं सरकार द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न दिशा-निदेशों का स्पष्ट उल्लंघन करने संबंधी आरोप प्रमाणित होते हैं।

8. विद्वान लोक प्रहरी की अनुशंसा एवं आरोपों की गंभीरता के आलोक में आरोपित मुखिया श्रीमती जया किशोरी देवी को बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-18(5) के अधीन आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से ग्राम पंचायत-अग्रहण, प्रखण्ड-हवेली खड़गपुर,

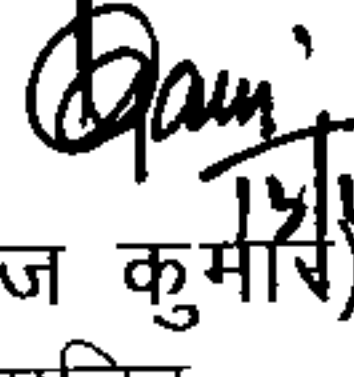
जिला-मुंगेर को मुखिया के पद से हटाते हुए यह आदेश दिया जाता है कि श्रीमती जया किशोरी देवी आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से पंचायत निकायों के किसी भी निर्वाचन में अगले पाँच वर्षों तक उम्मीदवार होने के पात्र नहीं होंगी।

जिला पदाधिकारी, मुंगेर को आदेश दिया जाता है कि वे संबंधित पंचायत सचिव एवं तकनीकी सहायक के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करेंगे।

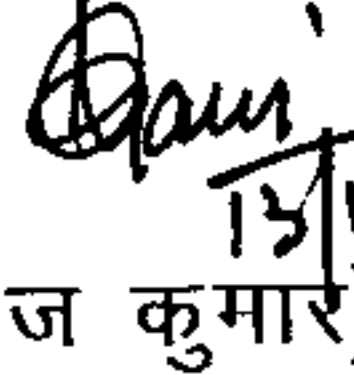
प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।


13/1/26
(मनोज कुमार)
सचिव

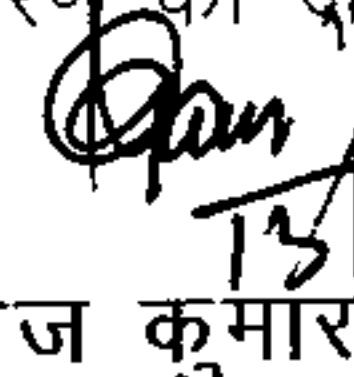
ज्ञापांक : 2प/वि0-17-31/2025/593/पं०रा० पटना दिनांक 14/1/2026
प्रतिलिपि : श्रीमती जया किशोरी देवी, मुखिया, ग्राम पंचायत-अग्रहण, प्रखण्ड-हवेली खड़गपुर, जिला-मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


13/1/26
(मनोज कुमार)
सचिव

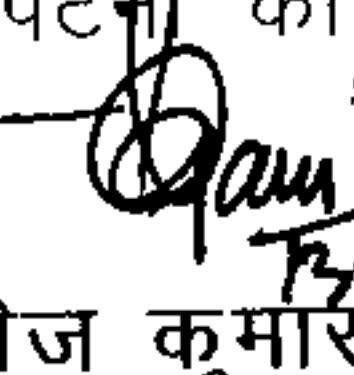
ज्ञापांक : 2प/वि0-17-31/2025/593/पं०रा० पटना दिनांक 14/1/2026
प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त-सह-लोक प्रहरी, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, हवेली खड़गपुर, जिला-मुंगेर/पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत-अग्रहण, प्रखण्ड-हवेली खड़गपुर, जिला-मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


13/1/26
(मनोज कुमार)
सचिव

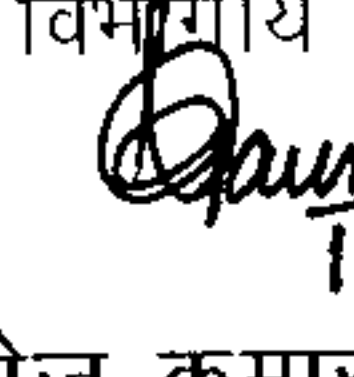
ज्ञापांक : 2प/वि0-17-31/2025/593/पं०रा० पटना दिनांक 14/1/2026
प्रतिलिपि : सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को जनसाधारण की जानकारी हेतु समाचार के रूप में समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


13/1/26
(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि0-17-31/2025/593/पं०रा० पटना दिनांक 14/1/2026
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


13/1/26
(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि0-17-31/2025/593/पं०रा० पटना दिनांक 14/1/2026
प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट www.biharprd.bih.nic.in पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित।


13/1/26
(मनोज कुमार)
सचिव